उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1

संख्या-11/2022/1302/94-1-2022-312(25)/2022

लखनऊ, दिनांक : 09 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, सरकारी अधिसूचना संख्या 10/2022/285/94-1-2022-312(25)/2022 दिनांक 29 जुलाई, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं :-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या-19 के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नियत दिनांक से प्रविष्टियों सहित निम्नलिखित क्रम संख्यायें स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी अर्थात् :-

क्रम संख्या	जिला	निबंधन उप जिला
1	2	3
20.	झाँसी	झाँसी सदर प्रथम
		झाँसी सदर द्वितीय
21.	सहारनपुर	सहारनपुर सदर प्रथम
		सहारनपुर सदर द्वितीय
		सहारनपुर सदर तृतीय

(वीना कुमारी)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-1

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 11/2022/1302/94-1-2022-312(25)/2022 Dated : 09 December, 2022.

Notification

No. 11/2022/1302/94-1-2022-312(25)/2022

Lucknow, Dated : 09 December, 2022.

In exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 1 of 1897), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 10/2022/285/94-1-2022-312(25)/2022, dated 29 July, 2022.

AMENDMENT

In the Schedule to the aforesaid notification, after serial no. 19, the following serial no. alongwith the entries thereto shall column wise be inserted, namely, with effect from the date fixed by the State Government:-

Sl.no.	District	Registration Sub-district
1	2	3
20.	Jhansi	Jhansi Sadar First
		Jhansi Sadar Second
21.	Saharanpur	Saharanpur Sadar First
		Saharanpur Sadar Second
		Saharanpur Sadar Third

(Veena Kumari)
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।